रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273842
CG-DL-E-25062026-273842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948
No. 452] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा.का.नि. 503(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली ,1989जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम ,, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है , में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप) धारा-1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेप एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न होने पर ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 में, नियम 125-एस के पश्चात, निम्नलिखित नियम 125-टी और 125-यू प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"125-टी. साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (सीएसएमएस) के संबंध में वाहनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं:

नीचे दी गई तालिका 1 में निर्दिष्ट तिथियों से, श्रेणी एम, एन, टी के मोटर वाहन, यदि उनमें मानक में उल्लिखित स्तर 3 स्वचालन (ऑटोमेशन)के साथ कम से कम एक ईसीयू और एल 7 युक्त हो, तो उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-189 के अनुसार साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते।

तालिका 1

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.स.</th><th rowspan="2">साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) अनुपालन के लिए वाहन का प्रकार</th><th colspan="2">कार्यान्वयन की तिथि</th></tr>
<tr><th>नए मॉडल</th><th>मौजूदा मॉडल</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>ऑटोमेशन* स्तर एल 3 और उससे ऊपर वाले वाहन</td><td>1 अक्टूबर 2026</td><td>1 अप्रैल 2027</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ओटीए** युक्त वाहन (ओटीए सक्षम ईसीयू *** इंफोटेनमेंट सिस्टम और ट्रैकिंग डिवाइस को छोड़कर)</td><td>1 अप्रैल 2028</td><td>1 अक्टूबर 2028</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सभी ओटीए युक्त वाहन</td><td colspan="2" rowspan="3">1 अक्टूबर 2029</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सॉफ्टवेयर अद्यतन (अपडेट) सहित परंतु बिना ओटीए वाला वाहन।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, कोई ओटीए नहीं</td></tr>
</table>

नोट: * एआईएस 189 में यथा उल्लिखित स्वचालन स्तर
**** ओटीए – ओवर द एयर**
***** ईसीयू – इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट**

"125-यू. वाहनों के सॉफ़्टवेयर अपडेट और सॉफ़्टवेयर अपडेट प्रबंधन प्रणालियों (एसयूएमएस) के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाएं:

नीचे दी गई तालिका 1 में निर्दिष्ट तिथियों से, श्रेणी एम, एन,टी, ए और सी के मोटर वाहनों को एआईएस -190 के अनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित रूप में, सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रबंधन प्रणालियों की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं हो जाते।

तालिका 1

क्र.स.	सॉफ़्टवेयर अपडेट और सॉफ़्टवेयर अपडेट प्रबंधन प्रणालियों (एसयूएमएस) के अनुपालन के लिए वाहन का प्रकार	कार्यान्वयन की तिथि	
		नए मॉडल	मौजूदा मॉडल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ऑटोमेशन* स्तर एल3 और उससे ऊपर वाले वाहन	1 अक्टूबर 2026	1 अप्रैल 2027
2.	ओटीए** युक्त वाहन (ओटीए सक्षम ईसीयू*** इंफोटेनमेंट सिस्टम और ट्रैकिंग डिवाइस को छोड़कर)	1 अप्रैल 2028	1 अक्टूबर 2028
3.	सभी ओटीए युक्त वाहन	1 अक्टूबर 2029	
4.	सॉफ्टवेयर अद्यतन (अपडेट) सहित परंतु बिना ओटीए वाला वाहन।		

नोट: * एआईएस 189 में यथा उल्लिखित स्वचालन स्तर
**** ओटीए – ओवर द एयर**
***** ईसीयू – इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट**

[फा. सं. आरटी-11036/91/24-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

G.S.R. 503(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. — (1) these rules may be called as the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125-S, following rules 125-T and 125-U shall be inserted namely:-

"**125-T. Safety Requirements for Vehicles with regard to their Cyber Security and Cyber Security Management systems (CSMS):**

On and from dates as specified in Table 1 below, motor vehicles of category M, N, T if fitted with at least one ECU and L7 with level 3 automation, as referred in the standard, shall meet requirements of Cyber Security and Cyber Security Management Systems as per AIS-189, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016)."

Table 1

Sl. No.	**Vehicle Type for compliance to Cyber security and Cyber Security Management Systems (CSMS)**	**Date of Implementation**	
		New Model	**Existing Model**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Vehicle with Automation* level L3 and above	1st October 2026	1st April 2027
2.	OTA** enabled vehicles (OTA capable ECUs*** Other than Infotainment systems and Tracking Devices)	1st April 2028	1st October 2028
3.	All OTA enabled Vehicles	1st October 2029	
4.	With Software Update but No OTA		
5.	No Software update, No OTA		

Note: * Automation levels as mentioned in AIS 189
**** OTA – Over the Air**
***** ECU – Electronic Control Unit**

"**125-U. Safety Requirements for Vehicles with regard to their Software Updates and Software Update Management systems (SUMS):**

On and from dates as specified in Table 1 below, motor vehicles of category M, N, T, A and C shall meet requirements of Software Updates and Software Update Management Systems as per AIS-190, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016)."

Table 1

Sl. No.	**Vehicle Type for compliance to Software Updates and Software Update Management Systems (SUMS)**	**Date of Implementation**	
		New Model	Existing Model
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Vehicle with Automation* level L3 and above	1st October 2026	1st April 2027
2.	OTA** enabled vehicles (OTA capable ECUs*** Other than Infotainment systems and Tracking Devices)	1st April 2028	1st October 2028
3.	All OTA enabled Vehicles.	1st October 2029	
4.	With Software Update but No OTA		

Note: * Automation levels as mentioned in AIS 189
**** OTA – Over the Air**
***** ECU – Electronic Control Unit**

[F. No. RT-11036/91/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020 and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA